



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1512]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2015/ आषाढ़ 25, 1937

No. 1512]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2015/ASHADHA 25, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1937(अ).—यतः, मै. पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि., जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के वकालापुडी गाँव, काकीनाडा ग्रामीण मण्डल, काकीनाडा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2169(अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 101.12 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 51.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 29 जनवरी, 2015 के पत्र सं. 15100/IP&INF/A2/2013 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 51.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 51.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 50.00 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः—

तालिका			
क्र.सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	वकालापुडी	185/1सी2	6.50
2		186/2बी	3.00
3		223	0.85
4		224	1.93
5		225	2.95
6		226	0.50
7		227	0.23
8		228/पी	1.55
9		235/1ए	10.32
10		235/1बी	2.86
11		237/2पी	20.37
12		235/2	0.06
कुल			51.12 हेक्टेयर
उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			50.00 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ.2/602/2006-एसईजेड]
डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1937(E).—Whereas, M/s. Parry Infrastructure Company Private Limited, a Private Organization of the State of Andhra Pradesh, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for food processing sector at Vakalapudi Village, Kakinada Rural Mandal, Kakinada in the State of Andhra Pradesh;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 101.12 hectares at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2169 (E) dated 20th December, 2007;

And, Whereas, M/s. Parry Infrastructure Company Private Limited has now proposed for de-notification of 51.12 hectares at the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Andhra Pradesh has given its “No Objection” to the proposal *vide* letter No.15100/IP&INF/A2/2013, dated 29th January, 2015;

And, Whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 51.12 hectares of the Special Economic Zone;

Now, Whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, Whereas, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 51.12 hectares**, thereby making resultant area as **50.00 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
1	Vakalpudi	185/1C2	6.50
2		186/2B	3.00
3		223	0.85
4		224	1.93
5		225	2.95
6		226	0.50
7		227	0.23
8		228/P	1.55
9		235/1A	10.32
10		235/1B	2.86
11		237/2P	20.37
12		235/2	0.06
Total			51.12 hectares
Total Area of SEZ after above de-notification			50.00 hectares

[F. No. F.2/602/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA Jt. Secy.